

## महालेखाकार (ले.प.I) का कार्यालय, केरल,तिस्वनंतपुरम OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I), KERALA, THIRUVANANTHAPURAM



सं.ले.प/प्रशासन/III/6-5/खंड.VIII

Date: 01.01.2025

## अनुभागीय आदेश सं. 307/SECTIONAL ORDER No. 307

श्रीमती मंजुषा टी, लिपिक को 01.01.2025 से या कार्यभार संभालने की तारीख से, जो भी बाद में हो, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 में लेखापरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया जाता है।

पदाधिकारी को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेश नियम पुस्तक (प्रशासन) खंड I तृतीय संस्करण के पैरा 9.4.2 के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नित के तुरंत बाद से लगातार छह अवसरों के भीतर लेखापरीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल होने पर लिपिक संवर्ग में पदावनत कर दिया जाएगा। उन्हें प्रत्यावर्तित लिपिक के रूप में परीक्षा पास करने के लिए 3 और अतिरिक्त अवसर की अनुमित दी जाएगी, जिसका लाभ प्रत्यावर्तन कि तारीख से दो साल के भीतर लेना होगा। प्रत्यावर्तित लिपिक के रूप में, जो अनुमेय अतिरिक्त अवसरों में भी लेखापरीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असमर्थ है, वह प्रत्यावर्तन की तारीख से 5 वर्ष के बाद ही लेखापरीक्षक के संवर्ग में पदोन्नित के लिए विचार हेतु पात्र हो जाएगी।

उपरोक्त पदोन्नित अगले आदेशों के अधीन होगी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी (सी) संख्या 31288/2017 में पारित की जा सकती है।

Smt.Manjusha T, Clerk is promoted to officiate as **Auditor** in **Level 5** of Pay Matrix with effect from **01.01.2025** or from the date of assumption of charge, whichever is later.

The official will have to pass the Departmental Examination for Auditors within six consecutive chances, falling due immediately after the promotion in accordance with the provisions of para 9.4.2 of Comptroller and Auditor General's Manual of Standing Orders (Admn.) Vol.I Third Edn. and failure to pass the Examination will entail reversion to Clerks' cadre. She will be permitted to appear for 3 more additional chances to clear the examination as reverted Clerk, which will have to be availed of within two years from the date of reversion. In the case of reverted Clerk who is unable to pass the Departmental Examination for Auditors even in the additional chances permissible to her, she will become eligible for consideration for promotion to the cadre of Auditor only after 5 years from the date of reversion.

As she has already been granted financial upgradation under MACP Scheme, her pay will be regulated in accordance with the provisions contained in Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (DOPT) OM No.35034/3/2015-Estt.(D) dated 22.10.2019.

The above promotion shall be subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme Court in SLP(C) No.31288/2017.

(उ म ले / प्रशासन के दिनांक 01.01.2025 के आदेशानुसार) (Vide orders dated 01.01.2025 of DAG/Admn.)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

SENIOR AUDIT OFFICER (ADMN.)

## प्रतिलिपि / Copy to:

- 1. अनु. आ. पुस्तिका / S.O. Book
- 2. श्रीमती मंजुषा टी/Smt.Manjusha T
- 3. सभी समूह अधिकारीगण / All Group Officers
- 4. म ले (ले प-I)/ म ले (ले प-II) के सचिव / Secretary to AG(Au-I)/AG(Au-II)
- 5. व ले प अ / प्रशासन, म ले (ले प-II) का कार्यालय / Sr.AO/Admn, O/o the AG (Au-II)
- 6. व ले प अ / का स्था (बिल्स/रोकड़/हकदारी) ले प-I/ले प-II / Sr.AO/ OE (Bills/Cash/Entt.) Au- I/Au-II
- 7. व ले प अ / का स्था, शाखा तृशूर, कोच्ची/ तृशूर / Sr.AO/ OE, Br.Office, Kochi/Thrissur
- 8. सभी शाखा अधिकारीगण / All Branch Offices
- 9. आई ए अनुभाग / प्रशिक्षण कक्ष / गो कक्षं / सामान्य अनुभाग / हिन्दी कक्ष- ले प- I/IA Section / Trg.Cell/ C.Cell / Gl.Sn./Hindi Cell- Au- I
- / Trg.Cell/ C.Cell / Gl.Sn./Hindi Cell- Au- I 10. आई टी एस कक्ष – वेबसाईट में अपलोडिंग हेतु / ITS Cell- for uploading in the website
- 11. पी ए ओ I, II और III/PAO I, II and III
- 12. सेवा संगठन / Service Associations
- 13. सूचना पट / Notice Board
- 14. व्यक्तिगत फाइल / Personal File